न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्या: 02/2025
दायर दिनांक: 09.04.2025
निर्णय दिनांक 28.11.2025

—:अनवान:—

राज्य सरकार जरिये रणजीत सिंह प्रवर्तन अधिकारी अधिकारी राजसमन्द
—— **प्रार्थी**

बनाम

श्री मुराद अली सैयद पुत्र श्री अब्बास अली सैयद मै0 बाड़ेती इण्डेन गैस, एस0बी0आई0 बैंक गली, केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़ —— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

अप्रार्थी द्वारा एल0पी0जी0 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर मय एल0पी0जी0 गैस को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थित:—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री हर्ष टांक, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2022 को हमराह श्री विजय सिंह, जिला रसद अधिकारी एवं श्री राकेश माहेश्वरी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस के दुरुपयोग के क्रम में संचालित अभियान के दौरान मै0 बाहेती इण्डेन गैस, एस0बी0आई0 बैंक गली, केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द पर श्री मुराद अली सैयद पुत्र श्री अब्बास अली सैयद निवासी केलवाडा जिला राजसमन्द के पास 09 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन पाए गए, जिनके क्रम में मुराद अली से पूछताछ करने एवं वैध अनुज्ञापत्र के बारे में पूछने पर इधर—उधर की बाते कर गुमराह किया गया एवं कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रथम दृष्टयां अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 09 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर मय 13.100 किलोग्राम गैस एवं रिफलिंग मशीन जब्त की जाकर श्री कमलेश पुत्र

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

श्री हेमराज लौहार, प्रतिनिधि मै0 कुम्भलगढ़ भारत गैस एजेन्सी केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द को ठीक तरीके से सुपुर्द किये जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार करा पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर जब्त किए गये घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उनमे संग्रहित गैस का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	गैर सिलेण्डर पर अंकित संख्या	तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का प्रकार	भरे हुए सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद वजन (किलोग्राम में)
1	801402-S	BPCL	Dom.	16.350	15.700	0.650
2	795694-S	BPCL	Dom.	15.950	15.500	0.450
3	215368-S	IOCL	Dom.	15.800	15.500	0.300
4	938247-E	IOCL	Dom.	15.900	15.500	0.400
5	10192-T	IOCL	Dom.	15.900	15.500	0.400
6	147992-U	BPCL	Dom.	8.500	8.400	0.100
7	069712-S	BPCL	Dom.	8.400	8.300	0.100
8	6947545	IOCL	Dom.	15.400	15.300	0.100
9	025814	IOCL	Dom.	26.300	15.700	10.6
योग				138.5	125.4	13.1

अतः मुराद अली सैयद पुत्र श्री अब्बास अली सैयद निवासी केलवाड़ा जिला राजसमन्द द्वारा घरेलू गैस का अवैध भण्डारण करने पर कालाबाजारी किया जाना पाया गया, जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड एट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्त सुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय किलोग्राम गैस एवं रिफिलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हर्ष टॉक ने उपस्थित दी।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी मैं गैस चुल्हे विक्रय व रिपेयरिंग का कार्य करता हूं और केलवाड़ा में गैस सप्लाई करने वाली कम्पनी की गाड़ी भी मेरी दुकान के पास ही आती है, जिस कारण ग्रामीण लोग व मेरे मिलने वाले लोग गाडी आने का इन्तजार करने के लिए मेरी दुकान पर अपना खाली सिलेण्डर रख जाते हैं और बाद में गाडी आने पर ले जाते हैं। ये केवल ग्राहकों की सुविधा के लिये है, जो आपसी व्यवहारवश रखते हैं। घटना दिनांक 21/02/2022 व जब्ती दिनांक 21/02/2025 में विरोधाभास होने से सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद, दोषपूर्ण व अविश्वसनीय है। साथ ही आप द्वारा प्रेषित पत्र के पैरा संख्या 2 में भरे हुए घरेलू सिलेंडरों मय 138. 05 गैस पाये जाने का वर्णित किया गया है, जबकि कुल सिलेण्डर 7 बडे, जिनमें 14.02 किलो गैस आती हैं और दो छोटे, जिनमें 5 किलो गैस आती हैं और यदि सभी सिलेण्डर

भरे हो, तो कुल गैस 109.40 किलोग्राम ही होती हैं। इसलिए आप द्वारा गैस का मानक गलत वर्णित किया गया हैं, जो कि जब्ती से ही स्पष्ट है, क्योंकि जब्ती में शुद्ध गैस का वजन 13.100 किलोग्राम वर्णित हैं। यानि गैस सिलेण्डर खाली थे, भरे हुए नहीं। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर पूरी तरह से भरे हुए नहीं थे, बल्कि खाली या लगभग खाली थे। हर सिलेण्डर में सामान्य रूप से परीक्षण/डेड स्टॉक के रूप में आधा/पौन किलो गैस खाली सिलेण्डर में रह जाती हैं। जब्ती में 9 सिलेण्डर में से शुद्ध वजन 13.100 किलो गैस का बताया गया हैं, जो कि खाली सिलेण्डर में बची गैस का वजन हैं। गैस सिलेण्डर के सुरक्षा की दृष्टि से भी खाली सिलेण्डर में थोडी गैस बचाना अनिवार्य हैं। यह नियम पैट्रोलियम एण्ड एक्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाईजेशन (PESO) व गैस सिलेण्डर्स रूल, 2016 के टेक्निकल स्टेण्डर्स में दर्ज हैं। अतः इसे अवैध भण्डारण/कालाबाजारी नहीं माना जा सकता। जब भरी हुई गैस ही नहीं मिली, तो फिर कालाबाजारी व जमाखोरी (Hoarding/Black Marketing) का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम तभी लागू होता हैं, जब कोई व्यक्ति वस्तु को अवैध रूप से संग्रहित कर जनता को आपूर्ति में बाधा पहुंचाने का कार्य कर रहा हो। यहां चूंकि गैस वास्तविक रूप से सिलेण्डर में मौजूद ही नहीं थी, इसलिए कार्यवाही कानून के अनुरूप में नहीं हैं। धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का अवैध भण्डारण को रोकना हैं, परन्तु यदि भरे हुए गैस सिलेण्डर वास्तव में यदि नहीं पाये गये हैं, तो जनता को गैस आपूर्ति से वंचित करने का आरोप निराधार हो जाता है। इससे प्रार्थी का ईरादा (Means Rea) अवैध भण्डारण/कालाबाजारी का नहीं माना जा सकता। प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा कार्यवाही के समय प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और बिना सुने ही नौ सिलेण्डर जब्त कर दिये गये और सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। प्रार्थी ने जानबूझकर किसी प्रकार का अवैध भण्डारण, कालाबाजारी नहीं की एवं अनाधिकृत बिक्री व मूल्य वसूली नहीं की है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि उक्त पत्र की कार्यवाही निरस्त कर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर मुक्त कराने की कराये जाये।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी के पास से जब्तशुदा उक्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 13.100 किलोग्राम गैस एवं रिफलिंग मशीन जिनका व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्त शुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 13.100 किलोग्राम गैस एवं रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मैं गैस चुल्हे विक्रय व रिपेयरिंग का कार्य करता हूं और केलवाड़ा में गैस सप्लाई करने वाली कम्पनी की गाड़ी भी मेरी दुकान के पास ही आती है, जिस कारण ग्रामीण लोग व मेरे मिलने वाले लोग गाडी आने का इन्तजार करने के लिए मेरी दुकान पर अपना खाली सिलेण्डर रख जाते हैं और बाद में गाडी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आने पर ले जाते हैं। ये केवल ग्राहकों की सुविधा के लिये है, जो आपसी व्यवहारवश रखते हैं। घटना दिनांक 21/02/2022 व जब्ती दिनांक 21/02/2025 में विरोधाभास होने से सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद, दोषपूर्ण व अविश्वसनीय हैं। साथ ही आप द्वारा प्रेषित पत्र के पैरा संख्या 2 में भरे हुए घरेलू सिलेंडरों मय 138. 05 गैस पाये जाने का वर्णित किया गया है, जबकि कुल सिलेण्डर 7 बडे, जिनमें 14.02 किलो गैस आती हैं और दो छोटे, जिनमें 5 किलो गैस आती हैं और यदि सभी सिलेण्डर भरे हो, तो कुल गैस 109.40 किलोग्राम ही होती हैं। इसलिए आप द्वारा गैस का मानक गलत वर्णित किया गया हैं, जो कि जब्ती से ही स्पष्ट है, क्योंकि जब्ती में शुद्ध गैस का वजन 13.100 किलोग्राम वर्णित हैं। यानि गैस सिलेण्डर खाली थे, भरे हुए नहीं।यानि गैस सिलेण्डर खाली थे, भरे हुए नहीं। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर पूरी तरह से भरे हुए नहीं थे, बल्कि खाली या लगभग खाली थे। हर सिलेण्डर में सामान्य रूप से परीक्षण/डेड स्टॉक के रूप में आधा/पौन किलो गैस खाली सिलेण्डर में रह जाती हैं। जब्ती में 9 सिलेण्डर में से शुद्ध वजन 13.100 किलो गैस का बताया गया हैं, जो कि खाली सिलेण्डर में बची गैस का वजन हैं और यह तकनीकी रूप से वजन बताया गया है। गैस सिलेण्डर के सुरक्षा की दृष्टि से भी खाली सिलेण्डर में थोडी गैस बचाना अनिवार्य हैं। यह नियम पैट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाईजेशन (PESO) व गैस सिलेण्डर्स रूल, 2016 के टेक्निकल स्टेण्डर्स में दर्ज हैं। अतः इसे अवैध भण्डारण/कालाबाजारी नहीं माना जा सकता। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि उक्त पत्र की कार्यवाही निरस्त कर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर मुक्त कराने की कराये जाये।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विचारणीय प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी श्री मुराद अली पद पुत्र श्री अब्बास अली के पास 09 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन पाए गयी इनके क्रम में मुराद अली से पूछताछ करने एवं अनुज्ञापत्र के बारे में पूछने पर इधर–उधर की बोले कर गुमराह किया गया एवं कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस पर उसे जब्त किया गया। अतः अप्रार्थी से जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय 13.100 किलोग्राम गैस एवं रिफिलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

यहां पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त 09 सिलेण्डर व रिफलिंग मशीन अप्रार्थी के पास से जब्त की गयी। यहां पर अप्रार्थी का यह कथन बिल्कुल मानने योग्य नहीं है कि वो गैस स्टॉव रिपेयर का काम करता है और लोग गैस सिलेण्डर उसके पास छोड़ जाते है और वह भरने के बाद वापस गैस सिलेण्डर लोगों को सिपूर्द कर देता है यह केवल मात्र काल्पनिक कथन बनाकर पेश किया गया है इस कार्यवाही से बचने के लिए क्योंकि उसके पास से गैस रिफलिंग का भी उपकरण जब्त हुआ है। जिसका अप्रार्थी के पास कोई जवाब नहीं है कि गैस रिफलिंग मशीन का क्या उपयोग करता था।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः यहां अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली से यह स्वतः ही जाहिर होता है कि रसोई गैस का अवैध व्यापार अप्रार्थी द्वारा किया जा रहा है जो न केवल लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है बल्कि कानूनी रूप से भी यह बिल्कुल अनुचित है। अतः मैं, यहां पर अप्रार्थी से जब्तशुदा 09 सिलेण्डर मय 13.100 किलोग्राम गैस व एक रिफलिंग मशीन मय समस्त उपकरणों को राजसात करना न्यायोचित समझता हूँ।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 09 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 13.100 किलोग्राम गैस एवं एक रिफलिंग मशीन को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 09 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 13.100 किलोग्राम गैस एवं एक रिफलिंग मशीन का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)